...ना आवश्यक है। ...मामला अर्जेन्ट नेचर का है, ... प्रार्थी के
पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों व तर्को से प्रथम दृष्टया सहमत होकर, प्रकरण को गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी तक वाके ग्राम भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता संख्या 16 खसरा न0 308 रकबा 0.77 है0 भूमि में 1/3 हिस्से के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, उक्त कृत्य न तो आप स्वयं करे न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधि से करावे। अप्रार्थीगण को यदि कोई उज्र हो तो आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. के तलवी सम्मन से की जावे। मिसल वास्ते तलवी मे दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

16/12/25

पत्रावली पेश है वकील वादी उप० हैं
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा०प० 151 CPC पेश कर निवेदन किया की अरोक्त वर्णित प्रकरण संख्या 119/25 - उनवान अनन्त कुमार वगै० बनाम कजोड़लाल वगै० मे प्रार्थी का नाम ~~[illegible]~~ सहव से अनन्त कुमार के स्थान पर भंवर लाल हो गया जिसे सही करना आवश्यक है। हमने पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया बाद अवलोकन हम यह पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिपिकीय त्रुटि मे सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC दिनांक 16/12/25 स्वीकार किया

किया जाता है व प्रकरण संख्या 119/2025
में प्रार्थी का नाम भंवरलाल के स्थान पर
अनन्त कुमार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं
मिसल वास्ते तलबी मे दिनांक 19/1/2026
को पेश हो